कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
इंदौर मण्डल इंदौर, आयुक्त कार्यालय परिसर, मोती बंगला, इंदौर

दूरभाष 0731(2430050) ई–मेल seresindore@mp.gov.in

क्रमांक / 673 / निविदा / ग्रायांसेवा / 2026

इंदौर दिनांक 7/5/2026

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक–01 / 2026–27

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग– महेश्वर, खण्डवा, बुरहानपुर, मनावर एवं इंदौर के निम्नांकित निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रीयकृत ई–पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से दो लिफाफा पद्धति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित **प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10** अनुसार अद्यतन संशोधन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर एवं विद्युतीकरण के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी विद्युतीकरण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील दर के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	ग्रायांसेवा संभाग	ऑनलाईन टेण्डर आई.डी.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	निविदा लागत (PAC) (राशि रुपये में)	अमानत राशि (राशि रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रुपये में)	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमन्त्रण क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महेश्वर	2026_RES_504434	रिटेनिंगवॉल वॉल एवं सीसी रोड निर्माण कार्य सेवा आश्रम लाडवी तहसील महेश्वर	महेश्वर	2448175/-	48964/-	5000/-	06 माह	प्रथम
2	खण्डवा	2026_RES_504444	शासकीय उर्दू हाई स्कूल छीपाकालोनी में 4 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	खण्डवा	4500919/-	50000/-	5000/-	09 माह	द्वितीय
3	खण्डवा	2026_RES_504445	शासकीय हाई स्कूल गरबड़ीमाल में 1 अतिरिक्त कक्ष एवं 3 प्रयोगशाला निर्माण कार्य	हरसूद	4877929/-	50000/-	5000/-	09 माह	द्वितीय
4	बुरहानपुर	2026_RES_504447	सामुदायिक भवन माण्डवा	खकनार	2058614/-	41172/-	5000/-	06 माह	द्वितीय
5	बुरहानपुर	2026_RES_504448	ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा में स्थित मेक्रो विज़न एकेडमी के मुख्य द्वार से लेकर शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविधालय के मुख्य द्वार तक आर.सी.सी. रोड	बुरहानपुर	9375443/-	93754/-	10000/-	09 माह	द्वितीय
6	मनावर	2026_RES_504450	सामुदायिक भवन निर्माण चुनपिया	गंधवानी	2058614/-	41172/-	5000/-	06 माह	द्वितीय
7	इंदौर	2026_RES_504451	महाविद्यालयीन बालक छात्रावास भंवरकुंआ, इंदौर 300 मीटर बाऊण्ड्री वाल निर्माण कार्य	इंदौर	2840662/-	50000/-	5000/-	06 माह	द्वितीय
8	इंदौर	2026_RES_504452	शासकीय मत्सय बीज प्रक्षेप बिलावली निरीक्षण भवन निर्माण भू–तल एवं प्रथम तल मत्सय विभाग कार्यालय परिसर बिलावली इंदौर	इंदौर	8066039/-	80660/-	10000/-	09 माह	द्वितीय
9	इंदौर	2026_RES_504453	ग्राम रिजलाय में सामुदायिक भवन निर्माण	इंदौर	4133648/-	50000/-	5000/-	09 माह	द्वितीय

E:\SSD D DRIVE\RESUPTODATA UPDATED 09-01-2025\Letter\Year 2026\NIVIDA\NIT 01 2026-2027\Details NIT 11.doc

Scanned with OKEN Scanner

1— **निविदा संबंधी तिथियाँ (Key Dates) :-**

1.	निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक	—	10/05/2026
2.	निविदा रिलीज करने का दिनांक	—	11/05/2026 14:00 बजे
3.	निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रारंभ दिनांक	—	11/05/2026 14:30 बजे से
4.	निविदा दर प्रस्तुत करने का प्रारंभ दिनांक	—	11/05/2026 समय 14:30 बजे से
5.	निविदा दर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक	—	22/05/2026समय 17:30 बजे तक
6.	निविदा खुलने का दिनांक	—	25/05/2026 समय 11.00 बजे से

2— **ऑन लाईन बिड जमा करते समय अपलोड किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:—**

Envelope- A:-

1. जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र या पंजीयन नवीनीकरण की रसीद तथा आर्गनाइजेशन डिटेल एनेक्जर—H में।
2. अमानत राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान की जानी है, जिसके भुगतान के संबंध में ट्रांजेक्शन नं/रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। **(अमानत राशि ऑनलाईन भुगतान ही मान्य होगी)**
3. **शपथ पत्र राशि रूपये 200/— की मूल प्रति स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। (मय नोटरी)** (प्रत्येक कार्य/पैकेज के लिये पृथक—पृथक शपथ—पत्र प्रोफार्म—बी) **(Annexure- B)**
4. पेन कार्ड की प्रति।
5. जीएसटी नंबर प्रमाण पत्र ।

Envelope- B :-Pre Qualifications Criteria :-निविदाकार के पास :—

(As per Annexure C of Tender Document 2.10

The bidder should have:-

i **सफलतापूर्वक संपादित किये गये निर्माण कार्यों का अनुभवः—**

a) पिछले 05 वित्तीय वर्षो में 03 समान प्रकार के कार्य, जिसमें प्रत्येक की लागत, निविदा लागत (PAC) की 20 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये **अथवा**

b) पिछले 05 वित्तीय वर्षो में 02 समान प्रकार के कार्य, जिसमें प्रत्येक की लागत, निविदा लागत (PAC) की 30 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये **अथवा**

c) पिछले 05 वित्तीय वर्षो में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में 01 समान प्रकार का कार्य, जिसकी कुल लागत, निविदा लागत (PAC) के 50 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये।

ii पिछले 05 वित्तीय वर्षो में निर्माण कार्यो का औसतन टर्न ओवरनिविदा लागत (PAC) की 50 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये।

iii पिछले 05 वित्तीय वर्षो में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में संपादित किया गया समान आयटम का निर्माण कार्य, जो कि चाही गई भौतिक आवश्यकता (Physical requirement) से कम नहीं होना चाहये।

iv वित्तीय क्षमता **(Bid Capacity)** — निविदाकार को उसके पास उपलब्ध वित्तीय क्षमता तक कार्य आवंटित किये जावेगे। वित्तीय क्षमता का आंकलन निविदा प्रपत्र 2.10 के प्रपत्र **I** के प्रपत्र **I-2** के अनुसार किया जावेगा तथा एनेक्जर **I-1** से **I-5** अपलोड किये जावे।

नोट :—1. **वार्षिक टर्नओवर चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।**

2. **उक्त वित्तीय वर्षो की आडिटेड बैलेंस शीट अपलोड करें।**

Envelope- C :- निविदाकार द्वारा निविदा दर जो कि ऑन लाईन निर्धारित BOQ.xls formatमें ही प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

3— **निविदाकार हेतु शर्ते :–**

1. निविदा प्रपत्र 2.10 का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेवें। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें तथा अपनी बिड शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं है। किसी भी निविदाकार के चाहने पर निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार भली–भॉति उक्त कार्य हेतु जी–शेड्यूल का अवलोकन कर लेवें। जी– शेड्यूल में समाहित सभी कार्य करना अनिवार्य है। प्राक्कलन एवं ड्राईंग का अवलोकन **संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में कर लेवे।**
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट **https://www.mptenders.gov.in** पर ऑनलाईन भुगतान कर (टेंडर डाक्यूमेंट) क्रय एवं जमा किया जा सकता है।
4. **शपथ पत्र राशि रूपये 200/– की मूल प्रति (मय नोटरी) स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। शपथ–पत्र में पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप (Annexure- B)में जानकारी भरें अन्यथा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।**
5. प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निविदा में उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड करना अनिवार्य है ।
6. निविदाकार को भौतिक (फिजीकल) रूप से कोई भी दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करने है। समस्त दस्तावेज ऑनलाईन .pdf या .rar(चाहे अनुसार) ही प्रस्तुत/अपलोड करने है।
7. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि–10/ग्रायांसेवा/2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 के अनुसार रू. 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदाओ के लिये निविदा प्रपत्र 2. 10,ANNEXURE-C के अनुसार प्री– क्वालिफिकेशन की शर्ते लागू होगी।
8. डमारीकृत मार्ग हेतु प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल के पत्र क्रमांक 2963/22/वि–10/ग्रायांसेवा/2023/भोपाल दिनांक 28.04.2023 द्वारा जारी संशोधन भी लागू होगा।

Scanned with OKEN Scanner

9. निर्माण कार्य संबंधी अन्य विवरण/जानकारी (ड्राईंग, डिजाईन एवं शर्ते) संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

10. निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज (निविदा शर्तो के अनुसार) दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय आफर ऑन लाईन कार्यालय **अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आयुक्त कार्यालय परिसर, एमजी रोड इंदौर में निर्धारित तिथि को खोले जावेगे।**

11. निर्माण कार्य हेतु नॉन एसओआर आयटमों का संपादन विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पश्चात् कराया जावे।

12. निविदाकार निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा **संभाग** से संपर्क कर, कार्य स्थल का ठीक प्रकार से निरीक्षण आवश्यक रूप से कर लेवे तथा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री की उपलब्धता/ परिवहन के संबंध में भी भली–भॉति अवलोकन कर लेवे, जो निविदाकार के लिये श्रेयश्कर होगा।

13. **अमानत राशि (आनॅलाईन) संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के पक्ष में देय होगी।**

14. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मो में पार्टनर अथवा प्रो0 हो तो ऐसी फर्मो द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा एक से अधिक फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी, जिसका अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।

15. निविदाकार किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया जाता है तो, संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा ई.एम.डी. राजसात कर ली जावेगी।

16. श्रम संविदा एक्ट के अतंर्गत जीवित लेबर लायसेन्स होना चाहिये। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। विवाद की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

18. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

19. परफार्मेन्स सिक्यूरिटी के रुप में अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत राशि (Vaild Construction period +3 month) की राष्ट्रीकृत/कमिशियल बैंक की एफडीआर संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पक्ष में अनुबंध करते समय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

20. सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में 5 प्रतिशत राशि देयक से काटी जावेगी, जो डिफेक्टीव लायबिलिटी की गारंटी अवधि कार्य पूर्णता की तिथि के 24 माह पश्चात नियमानुसार वापस की जावेगी।

21. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि–10/ग्रायांसेवा/2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 के अनुसार निविदाकार द्वारा निविदा की दरें कार्य हेतुएस.ओ.आर. से 10 प्रतिशतBELOWदर से भी अधिक BELOW दरप्रस्तुत की जाती है तो, इनमें अनुबंध के पूर्व सफल ठेकेदार से एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत BELOWदर के उपरांत प्रस्तुत दर के अंतर की अतिरिक्त परफारमेन्स गारंटी, जो कि संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी।

22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत फर्म को एफ.डी.आर एवं अन्य शुल्कों में प्राप्त छूट मान्य नहीं की जावेगी।

23. कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी**परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नही होगी।**

24. निविदा स्वीकृति के 15 दिवस में निविदाकार को अनुबंध करना होगा अन्यथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि संबंधित निविदाकार की एफडीआर राजसात कर, कार्य की पुनः निविदा आमंत्रण कर सकेगें।

25. निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि निविदाकार द्वारा जमा राशि एफडीआर तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी की राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

26. निविदाकार को निविदा में उल्लेखित कार्य की समानुपातिक रूप से प्रगति देते हुये निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

27. निर्माण कार्यो में कोरी रोण्ड अथवा मानक गुणवत्ता की रेत का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा।

28. प्रत्येक देयक के भुगतान के साथ खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियमानुसार प्रत्येक देयक से उपयोग की गई सामग्री का रायल्टी कटौत्रा किया जावेगा।

29. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे एवं कार्य संपादन के दौरान किये जाने वाले निर्धारित आवश्यक परीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

30. ठेकेदार को विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन/अनुबंध की शर्तो एवं प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।

31. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरलर) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य प्रारंभ के पूर्व शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज/एन.ए.बी.एल. लैब से करवाकर, संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागको प्रस्तुत करना होगा। तत्संबंध में शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा।

32. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की सुरक्षा/देखरेख की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

33. विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक 4162/22/वि–10/ग्रायांसे/ 2015 भोपाल दिनांक 24.07.2015 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 में विड डाटा एवं कांन्ट्रेक्ट डाटाशीट में किये गये संशोधन नियम लागू होगे।

34. निविदा प्रपत्र में निहित प्रावधान अनुसार ठेकेदार को कार्य हेतु दी गई समयावधि के एक चौथाई, आधे एवं तीन चौथाई भाग में निर्धारित माईल स्टोन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा ।

35. जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में समय–समय पर नियत किये जाने वाले "कर" का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित ठेकेदार के रनिंग देयकों से "GST" का नियमानुसार कटौत्रा/भुगतान किया जावेगा।

36. निविदाकार को वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र 2.10 के बिड डाटा शीट अनुसार निविदाकार द्वारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करने पर 50,000/– प्रतिमाह,

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण

फील्ड लेबोटरी स्थापित नहीं करने पर 50,000/– रूपये प्रतिमाह एवं निर्धारित तकनीकी अमले को नहीं लगाने पर 25,000/– रूपये प्रतिमाह पेनाल्टी की कार्यवाही की जावेगी। वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जाकर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी।

37. यदि निविदाकार द्वारा समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 की कंडिका 15 अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।

38. विधुत कार्य सिविल ठेकेदार द्वारा केवल ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करके किया जावेगा, जिनके पास राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित वैद्य विधुत लायसेन्स हो। अनुबंध के समय ठेकेदार को उक्त लायसेन्स की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

39. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अधीक्षण यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
इंदौर मण्ल इंदौर

पृष्ठा.क्र. 674/निविदा./ग्रायांसेवा/2026 इंदौर, दिनांक 07/5/2026

प्रतिलिपिः–

1. विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रथम टी0सी0–4।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, पंचम तल म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इंदौर परिक्षेत्र इंदौर।
5. कलेक्टर जिला ....।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ....।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग(समस्त) ....।
8. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन–32 सुदंर नगर, पिपलानी, बी0एच0ई0एल0 भोपाल।
9. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

अधीक्षण यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
इंदौर मण्डल इंदौर

अनुमोदित

Chief Engineer
Rural Engineering Services
Indore Zone, Indore

Signature Not Verified
Digitally signed by NARENDRA SINGH BHANWAR
Date: 2026.05.11 15:51:38 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner